

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), कोटा

क्रमांक: सहायता/बाढ/2025/

दिनांक 10.10.2025

—: प्रशासनिक स्वीकृति :-

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ के कारण क्षतिग्रस्त विद्यालय/चिकित्सा/आंगनवाडी/पंचायत भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु पत्रांक 663 दिनांक 03.09.2025 से उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्राप्त एवं प्रेषित प्रस्ताव पर संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ-8(26) आ.प्र. एवं सहा. /बाढ/प्रस्ताव/2025/राजकाज 18197762 जयपुर दिनांक 09.10.2025 के क्रम में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान ब्लॉक सुल्तानपुर के 179 कार्य हेतु राशि रुपये 358.00 लाख की तात्कालिक मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

कार्यकारी ऐजेन्सी :- शाला प्रबंधन एवं विकास समिति / शाला प्रबंधन समिति

क्र.सं.	तहसील	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का प्रकार	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति / विद्यालय भवन का नाम	एसडीआरएफ मापदण्डों के अनुसार दर राशि लाखों में	एसडीआरएफ मद से स्वीकृत मरम्मत योग्य राशि लाखों में
1	दीगोद	विद्यालय भवन	MGGS BAROD	2.00	2.00
2	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS RATANPURA	2.00	2.00
3	दीगोद	विद्यालय भवन	GSSS PADLIYA	2.00	2.00
4	दीगोद	विद्यालय भवन	GSSS Amarpura	2.00	2.00
5	दीगोद	विद्यालय भवन	GSSS Surela	2.00	2.00
6	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS sanskrit balai ki jhopdi	2.00	2.00
7	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS Chawandhedi	2.00	2.00
8	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS Richhadhedi	2.00	2.00
9	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS KHEDLI GHATA DHOLI	2.00	2.00
10	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS KHEDLI GHATA	2.00	2.00
11	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS KHEDLI DHAKDAN	2.00	2.00
12	दीगोद	विद्यालय भवन	GSSS RAILGAON	2.00	2.00
13	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS RAILGAON S.C.BASTI	2.00	2.00
14	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS HANOTIYA (470301)	2.00	2.00
15	दीगोद	विद्यालय भवन	GGSSS RAILGAON (470329)	2.00	2.00
16	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS Balapura	2.00	2.00
17	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS Bhagwanpura	2.00	2.00
18	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS Mandawari	2.00	2.00
19	दीगोद	विद्यालय भवन	GSSS KISHORPURA	2.00	2.00
20	दीगोद	विद्यालय भवन	GSSS JAKHDOND	2.00	2.00

Signature valid

Digitally signed by Peeyush Samariya
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.10 16:31:07 IST
Reason: Approved



RajKaj Ref No.:
18262144

21	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS Aaton	2.00	2.00
22	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS Bankya	2.00	2.00
23	दीगोद	विद्यालय भवन	GSSS PADASLIYA	2.00	2.00
24	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS PREMPURA	2.00	2.00
25	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS UKALDA	2.00	2.00
26	दीगोद	विद्यालय भवन	GSSS BUDADEET	2.00	2.00
27	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS JIYAHEDI	2.00	2.00
28	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS Kishanganj	2.00	2.00
29	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS DEDIYAHEDI	2.00	2.00
30	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS PALI	2.00	2.00
31	दीगोद	विद्यालय भवन	GGSSS MANDAWARA (492441)	2.00	2.00
32	दीगोद	विद्यालय भवन	GSSS MADANPURA	2.00	2.00
33	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS DIVANIYA	2.00	2.00
34	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS SANGAHERI	2.00	2.00
35	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS MANGAHERI	2.00	2.00
36	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS MOHAMMAD PURA	2.00	2.00
37	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS KHEDLI SEHRAN	2.00	2.00
38	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS BAMBULIYA RANMAL	2.00	2.00
39	दीगोद	विद्यालय भवन	GGSSS DIGOD	2.00	2.00
40	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS DEVPURA	2.00	2.00
41	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS SHOLI	2.00	2.00
42	दीगोद	विद्यालय भवन	MGGS TAKARWARA	2.00	2.00
43	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS JHADOL	2.00	2.00
44	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS HARIPURA	2.00	2.00
45	दीगोद	विद्यालय भवन	GGSSS TAKARWARA	2.00	2.00
46	दीगोद	विद्यालय भवन	GSSS KHERULA	2.00	2.00
47	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS SANIJA BAWADI	2.00	2.00
48	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS BHUNEN	2.00	2.00
49	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS KHADLI PARSRAM	2.00	2.00
50	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS KHYAWADA	2.00	2.00
51	दीगोद	विद्यालय भवन	MGGS LAKSANIJA	2.00	2.00
52	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS FATHEPUR	2.00	2.00
53	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS KUNETIYA	2.00	2.00
54	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS RAMPURIYA	2.00	2.00
55	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS CHAR	2.00	2.00

Signature valid

Digitally signed by Peeyush Samariya
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.10 16:31:07 IST
Reason: Approved

**RajKaj Ref No.:
18262144**

56	दीगोद	विद्यालय भवन	GSSS, MUNDLA	2.00	2.00
57	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS NAYAGAON AHIRAN	2.00	2.00
58	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS BHIMPURA	2.00	2.00
59	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS DAGARIYA	2.00	2.00
60	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS SAN MARWADA CHOUKI	2.00	2.00
61	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS GUMANPURA	2.00	2.00
62	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS DABAR	2.00	2.00
63	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS DARBIJI	2.00	2.00
64	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS BAIRWA BASTI SAROLA	2.00	2.00
65	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS KACHNAWADA	2.00	2.00
66	दीगोद	विद्यालय भवन	GVUS MOTIKUNWA	2.00	2.00
67	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS NEEMLI	2.00	2.00
68	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS DOBARLI	2.00	2.00
69	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS MEHARAN	2.00	2.00
70	दीगोद	विद्यालय भवन	MGGS JHADGAON	2.00	2.00
71	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS MORANA	2.00	2.00
72	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS PIPILDA SAND	2.00	2.00
73	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS CHOPAD KHEDI	2.00	2.00
74	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS JHOPADIYA SAND	2.00	2.00
75	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS MANDARIYA	2.00	2.00
76	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS RAMNAGAR	2.00	2.00
77	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS JANAKPUR	2.00	2.00
78	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS DHORI	2.00	2.00
79	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS KHEDLI MAHADEET	2.00	2.00
80	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS KAKRAWDA	2.00	2.00
81	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS KHEDABASTI BAMORI	2.00	2.00
82	दीगोद	विद्यालय भवन	GSSS KOTRADEEPSINGH	2.00	2.00
83	दीगोद	विद्यालय भवन	GGSSS KOTRADEEPSINGH	2.00	2.00
84	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS GAWADI	2.00	2.00
85	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS RELYATA	2.00	2.00
86	दीगोद	विद्यालय भवन	GSSS Kanwarapura	2.00	2.00
87	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS Dungarjya	2.00	2.00
88	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS kacholiya	2.00	2.00
89	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS fatehpur	2.00	2.00

Signature valid

Digitally signed by Peeyush Samariya
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.10 16:31:07 IST
Reason: Approved

90	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS udpura	2.00	2.00
91	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPSS kacholiya	2.00	2.00
92	दीगोद	विद्यालय भवन	GVUS DUNGARJYA	2.00	2.00
93	दीगोद	विद्यालय भवन	GSSS SULTANPUR	2.00	2.00
94	दीगोद	विद्यालय भवन	GSSS TORAN	2.00	2.00
95	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS JHOTOLI	2.00	2.00
96	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS NAPAHERA	2.00	2.00
97	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS BAIRWA BASTI TORAN	2.00	2.00
98	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS Khandgaon	2.00	2.00
99	दीगोद	विद्यालय भवन	GSSS BISLAI	2.00	2.00
100	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS DHANSURI	2.00	2.00
101	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS BAMBULIYA RAWATAN	2.00	2.00
102	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS BARANA	2.00	2.00
103	दीगोद	विद्यालय भवन	GSSS BANETIYA	2.00	2.00
104	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS DHANWA	2.00	2.00
105	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS UMEEDPURA COLONY	2.00	2.00
106	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS JAHANGIRPURA	2.00	2.00
107	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS HAOTIYA	2.00	2.00
108	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS HARIPURA	2.00	2.00
109	दीगोद	विद्यालय भवन	GSSS MORPA	2.00	2.00
110	दीगोद	विद्यालय भवन	GSSS BHANDAHEDA	2.00	2.00
111	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS SUHANA	2.00	2.00
112	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS KURADI	2.00	2.00
113	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS TEHLA	2.00	2.00
114	दीगोद	विद्यालय भवन	G.P.S. KHEDA KAREER	2.00	2.00
115	दीगोद	विद्यालय भवन	GOVT SR SEC SCHOOL JALIMPURA	2.00	2.00
116	दीगोद	विद्यालय भवन	GOVT SR SEC SCHOOL BAGATRI	2.00	2.00
117	दीगोद	विद्यालय भवन	GOVT SR SEC SCH KHEDLI KALYA	2.00	2.00
118	दीगोद	विद्यालय भवन	GOVT PRIMARY GOKULPURA	2.00	2.00
119	दीगोद	विद्यालय भवन	GSSS CHOMA MALIYAN (224467)	2.00	2.00
120	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS CHOMA BIBU	2.00	2.00
121	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS BAMBULI	2.00	2.00
122	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS GIRDHARPURA	2.00	2.00

Signature valid

Digitally signed by Peeyush Samariya
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.10 16:31:07 IST
Reason: Approved

123	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS DANGAWAD	2.00	2.00
124	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS SANS MEDPURA	2.00	2.00
125	दीगोद	विद्यालय भवन	GSSS NOTARA MALIYAN	2.00	2.00
126	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS SULTANPUR	2.00	2.00
127	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS AATON	2.00	2.00
128	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS ABRA	2.00	2.00
129	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS KHUMABLA JAGIR	2.00	2.00
130	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS POLAIKHURD	2.00	2.00
131	दीगोद	विद्यालय भवन	GSSS BAROD	2.00	2.00
132	दीगोद	विद्यालय भवन	GSSS CHIPPARDA	2.00	2.00
133	दीगोद	विद्यालय भवन	PM SHREE GSSS KOTSUWA	2.00	2.00
134	दीगोद	विद्यालय भवन	GSSS CHANDARAWAL	2.00	2.00
135	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS MEHANDI	2.00	2.00
136	दीगोद	विद्यालय भवन	MGGS BUDADEET	2.00	2.00
137	दीगोद	विद्यालय भवन	MGGS MANDAWARA	2.00	2.00
138	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS NARSHINGPURA	2.00	2.00
139	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS PIPLADA SAMEL	2.00	2.00
140	दीगोद	विद्यालय भवन	GSSS DIGOD	2.00	2.00
141	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS KASAMPURA	2.00	2.00
142	दीगोद	विद्यालय भवन	GSSS NIMODA UJAD	2.00	2.00
143	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS NARPATKHEDI	2.00	2.00
144	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS BAGAWADA	2.00	2.00
145	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS KOTADAPURA	2.00	2.00
146	दीगोद	विद्यालय भवन	GSSS POLAIKALAN	2.00	2.00
147	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS BARGU	2.00	2.00
148	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS SC BASTI POLAIKALAN	2.00	2.00
149	दीगोद	विद्यालय भवन	GSSS SIMLIYA	2.00	2.00
150	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS KARADIYA	2.00	2.00
151	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS KALYANPURA	2.00	2.00
152	दीगोद	विद्यालय भवन	GGSSS SIMLIYA	2.00	2.00
153	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS MANDOLA	2.00	2.00
154	दीगोद	विद्यालय भवन	GSSS SAROLA	2.00	2.00
155	दीगोद	विद्यालय भवन	GSSS KHERLI TANWARAN	2.00	2.00
156	दीगोद	विद्यालय भवन	GSSS GADEPAN	2.00	2.00
157	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS BATTHIPURA	2.00	2.00

Signature valid

Digitally signed by Peeyush Samariya
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.10 16:31:07 IST
Reason: Approved

158	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS RUGGHI	2.00	2.00
159	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS CHINSA	2.00	2.00
160	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS GADEPAN KI JOPHARIYA	2.00	2.00
161	दीगोद	विद्यालय भवन	GSSS BAMORI DABAR	2.00	2.00
162	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS AAMORA	2.00	2.00
163	दीगोद	विद्यालय भवन	GGUPS BAMORI	2.00	2.00
164	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS PIPLADA BIRAM	2.00	2.00
165	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS UMEDPURA	2.00	2.00
166	दीगोद	विद्यालय भवन	MGGS SULTANPUR	2.00	2.00
167	दीगोद	विद्यालय भवन	GSSS NIMODA HARIJI	2.00	2.00
168	दीगोद	विद्यालय भवन	GGSSS NIMODA HARIJI	2.00	2.00
169	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS NIMODA HARIJI	2.00	2.00
170	दीगोद	विद्यालय भवन	MGGS BHORAN	2.00	2.00
171	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS BALLABHPURA	2.00	2.00
172	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS DHABA	2.00	2.00
173	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS KALAREVA	2.00	2.00
174	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS PACHDA KI JHOPDIYA	2.00	2.00
175	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS TEJPURA	2.00	2.00
176	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS PACHDA	2.00	2.00
177	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS THARLA	2.00	2.00
178	दीगोद	विद्यालय भवन	GUPS RAMDI	2.00	2.00
179	दीगोद	विद्यालय भवन	GPS SADEDI	2.00	2.00
		कुल योग			358.00

1. उक्त कार्यो को करवाने के लिए उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुशंषा की है।
2. कार्यकारी एजेन्सी की वित्तीय शक्तिया PWD & AR के अनुसार मान्य होगी।
3. विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों की मरम्मत पर न करें।
4. उक्त कार्य SDRF/NDRF के नियमों तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गये दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों की अक्षरशः पालना करते हुए कराया जावे।
5. ये सम्पत्तिया जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
6. कार्य उपखण्ड स्तरीय कमेटी से अनुमत होने आवश्यक है।
7. कराये गये कार्यो का भुगतान के लिए इस कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाना है जिसके लिए समय पर बिल प्रस्तुत करें। अन्यथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर भुगतान संबंधित एजेन्सी को अपने विभागीय मद से करना होगा।

Signature valid

Digitally signed by Peeyush Samariya
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.10 16:31:07 IST
Reason: Approved

8. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।
9. कार्यकारी एजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवे एसडीआरएफ नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair के तहत राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत एवं पुर्नरुद्धार हेतु गणना विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जायें।
10. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
11. स्वीकृति में दर्शित कार्य का व्यय स्वीकृत सीमा में ही किया जावे। उक्त कार्यों को अन्य मद में स्वीकृत नहीं किया जावे।
12. क्षतिग्रस्त कार्यों को आरम्भ करने से पूर्व के एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् के फोटोग्राफ लेना आवश्यक है।
13. उक्त स्वीकृति के विरुद्ध क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के केवल रिपेयर एवं रेस्टोरेशन के ही कार्य कराये जावे। नया निर्माण कार्य नहीं करवाया जावे।
14. कार्यकारी संस्था उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट बिल के साथ प्रस्तुत करें कि कार्य SDRF के मापदण्डों एवं प्रावधानों के अनुसार ही कराया गया है। तभी इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।
15. राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं S.D.R.F. के नोर्म्स तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।
16. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवया जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
17. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएँ आमंत्रित कर कार्य कराएँ जा सकेंगे।

इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित बजट मद से किया जायेगा :-

- 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
- 02- बाढ़ चक्रवात आदि।
- 107- खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
- (02)- (बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत)
- (01)- (बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत)
- 21- अनुसूचण एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स)(पी)

जिला कलक्टर,
कोटा

क्रमांक: सहायता/बाढ़/2025/

दिनांक 10.10.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक काग़वाही हेतु :-

Signature valid

Digitally signed by Peeyush Samariya
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.10 16:31:07 IST
Reason: Approved

1. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग जयपुर ।
2. उपखण्ड अधिकारी दीगोद
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कोटा
4. अति. जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा कोटा
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान सुल्तानपुर तह. दीगोद
6. रक्षित प्रति

जिला कलक्टर,
कोटा

Signature valid

Digitally signed by Peeyush Samariya
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.10 16:31:07 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), कोटा

क्रमांक: सहायता/बाढ/2025/

दिनांक: 10.10.2025

—: प्रशासनिक स्वीकृति :-

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ के कारण क्षतिग्रस्त विद्यालय/चिकित्सा/आंगनवाडी/पंचायत भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु पत्रांक 663 दिनांक 03.09.2025 द्वारा उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्राप्त एवं प्रेषित प्रस्ताव पर संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ-8(16) आ.प्र. एवं सहा. /बाढ/प्रस्ताव/2025/राजकाज 18197762 जयपुर दिनांक 09.10.2025 के क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुल्तानपुर के 13 कार्य राशि 26.00 लाख, की तात्कालिक मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि से कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

कार्यकारी एजेन्सी :- एन.एच.एम. कोटा

क्र.सं.	तहसील	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का प्रकार	क्षतिग्रस्त संपत्ति का नाम	SDRF मापदण्डों के अनुसार दर (प्रति कार्य) लाखों में	एस.डी.आर. एफ. मद से मरम्मत योग्य राशि लाखों में।
1	2	3	4	5	6
1	दीगोद	चिकित्सा भवन	पीएचसी बडोद	2.00	2.00
2	दीगोद	चिकित्सा भवन	पीएचसी लाखसनिजा	2.00	2.00
3	दीगोद	चिकित्सा भवन	पीएचसी सीमलिया	2.00	2.00
4	दीगोद	चिकित्सा भवन	पीएचसी बम्बौरी	2.00	2.00
5	दीगोद	चिकित्सा भवन	पीएचसी भाण्डाहेडा	2.00	2.00
6	दीगोद	चिकित्सा भवन	सीएचसी बूढादीत	2.00	2.00
7	दीगोद	चिकित्सा भवन	पीएचसी चारचौमा	2.00	2.00
8	दीगोद	चिकित्सा भवन	पीएचसी गढेपान	2.00	2.00
9	दीगोद	चिकित्सा भवन	पीएचसी मण्डावरा	2.00	2.00
10	दीगोद	चिकित्सा भवन	पीएचसी निमोदा हरिजी	2.00	2.00
11	दीगोद	चिकित्सा भवन	पीएचसी मोरपा	2.00	2.00
12	दीगोद	चिकित्सा भवन	पीएचसी कोटडादीपसिंह	2.00	2.00
13	दीगोद	चिकित्सा भवन	सीएचसी सुल्तानपुर	2.00	2.00
कुल कार्य				26.00	26.00

कार्य कराने में निम्न शर्तों की पालना की जावे :-

- उक्त कार्यो को करवाने के लिए उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुशंसा की है।
- कार्यकारी एजेन्सी की वित्तीय शक्तिया PWD & AR के अनुसार मान्य होगी।
- विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों की मरम्मत पर न करें।
- उक्त कार्य SDRF/NDRF के नियमों तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गये दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों की अक्षरशः पालना करते हुए कराया जावे।
- ये सम्पतिया जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
- कार्य उपखण्ड स्तरीय कमेटी से अनुमत होने आवश्यक है।
- कराये गये कार्यो का भुगतान के लिए इस कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। इसी वर्ष में भुगतान किया जाना है जिसके लिए समय पर बिल प्रस्तुत करें। अन्यथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर भुगतान (संशोधन) को अपने विभागीय मद से करना होगा।



Signature valid

Digitally signed by Poojush Samariya
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.10 16:27:06 IST
Reason: Approved

8. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।
9. कार्यकारी एजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवे एसडीआरएफ नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair के तहत राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं पुर्नरुद्धार हेतु गणना विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जायें।
10. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः स्वीकृति में दर्शित कार्य का व्यय स्वीकृत सीमा में ही किया जावे। उक्त कार्यो को अन्य मद में स्वीकृत नहीं किया जावे।
11. क्षतिग्रस्त कार्यो को आरम्भ करने से पूर्व के एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् के फोटोग्राफ लेना आवश्यक है।
12. उक्त स्वीकृति के विरुद्ध क्षतिग्रस्त सम्पति के केवल रिपेयर एवं रेस्टोरेशन के ही कार्य कराये जावे। नया निर्माण कार्य नहीं करवाया जावे।
14. कार्यकारी संस्था उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट बिल के साथ प्रस्तुत करें कि कार्य SDRF के मापदण्डों एवं प्रावधानों के अनुसार ही कराया गया है। तभी इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।
15. राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं S.D.R.F. के नोर्म्स तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।
16. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवया जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
17. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएँ आमंत्रित कर कार्य कराएँ जा सकेंगे।
18. इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित बजट मद से किया जायेगा :-
- 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
- 02- बाढ़ चक्रवात आदि।
- 107- खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
- (02)- (बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत)
- (01)- (बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत)
- 21- अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स)(पी)

जिला कलक्टर,
कोटा

क्रमांक: सहायता/बाढ़/2025/

दिनांक: 10.10.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक काग़्रवाही हेतु :-

1. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग जयपुर ।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा
3. उपखण्ड अधिकारी दीगोद
4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुल्तानपुर
5. अधिशाषी अभियंता एन.एच.एम. कोटा
6. रक्षित प्रति

Signature valid

Digitally signed by **Peeyush Samariya**
Designation : **Collector & District
Magistrate**
Date: 2025.10.10 16:27:06 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), कोटा

क्रमांक: सहायता/बाढ/2025/

दिनांक: 10.10.2025

—: प्रशासनिक स्वीकृति :-

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ के कारण क्षतिग्रस्त विद्यालय/चिकित्सा/आंगनवाडी/पंचायत भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु पत्रांक 663 दिनांक 03.09.2025 द्वारा उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्राप्त एवं प्रेषित प्रस्ताव पर संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ-8(28) आ.प्र. एवं सहा. /बाढ/प्रस्ताव/2024/राजकाज 18197762 जयपुर दिनांक 09.10.2025 के क्रम में पंचायत समिति इटावा कें 17 कार्य हेतु राशि रुपये 34.00 लाख

की तात्कालिक मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि से कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

कार्यकारी एजेन्सी – संबंधित ग्राम पंचायत

क्र.सं.	तहसील	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का प्रकार	क्षतिग्रस्त संपत्ति का नाम	SDRF मापदण्डों के अनुसार दर (प्रति कार्य) लाखों में	एस.डी.आर. एफ. मद से मरम्मत योग्य राशि लाखों में।
1	2	3	4	5	6
1	पीपल्दा	पंचायत भवन	पंचायत समिति भवन इटावा	2.00	2.00
2	पीपल्दा	पंचायत भवन	पंचायत भवन अयाना	2.00	2.00
3	पीपल्दा	पंचायत भवन	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र अयाना	2.00	2.00
4	पीपल्दा	पंचायत भवन	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र अयानी	2.00	2.00
5	पीपल्दा	पंचायत भवन	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र बालूपा	2.00	2.00
6	पीपल्दा	पंचायत भवन	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र बोरदा	2.00	2.00
7	पीपल्दा	पंचायत भवन	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र ढीपरी चम्बल	2.00	2.00
8	पीपल्दा	पंचायत भवन	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र डूंगरली	2.00	2.00
9	पीपल्दा	पंचायत भवन	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र गैंता	2.00	2.00
10	पीपल्दा	पंचायत भवन	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र जटवाडा	2.00	2.00

Signature valid

Digitally signed by Peeyush Samariya
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.10 16:32:25 IST
Reason: Approved



RajKaj Ref No.:
18262172

11	पीपल्दा	पंचायत भवन	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र करवाड	2.00	2.00
12	पीपल्दा	पंचायत भवन	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र कैथूदा	2.00	2.00
13	पीपल्दा	पंचायत भवन	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र खातोली	2.00	2.00
14	पीपल्दा	पंचायत भवन	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र ख्यावदा	2.00	2.00
15	पीपल्दा	पंचायत भवन	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र पीपल्दा कलां	2.00	2.00
16	पीपल्दा	पंचायत भवन	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र रजोपा	2.00	2.00
17	पीपल्दा	पंचायत भवन	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र लक्ष्मीपुरा	2.00	2.00
					34.00

कार्य कराने में निम्न शर्तों की पालना की जावे :-

1. उक्त कार्यो को करवाने के लिए उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुशंषा की है।
2. कार्यकारी एजेन्सी की वित्तीय शक्तिया PWD & AR के अनुसार मान्य होगी।
3. विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नोर्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों की मरम्मत पर न करें।
4. उक्त कार्य SDRF/NDRF के नियमों तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गये दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों की अक्षरशः पालना करते हुए कराया जावे।
5. ये सम्पत्तिया जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
6. कार्य उपखण्ड स्तरीय कमेटी से अनुमत होने आवश्यक है।
7. कराये गये कार्यो का भुगतान के लिए इस कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाना है जिसके लिए समय पर बिल प्रस्तुत करें। अन्यथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर भुगतान संबंधित एजेन्सी को अपने विभागीय मद से करना होगा।
8. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।
9. कार्यकारी एजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवे एसडीआरएफ नोर्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair के तहत राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत एवं पुर्नरुद्धार हेतु गणना विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जायें।
10. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।

Signature valid

Digitally signed by Peeyush Samariya
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.10 16:32:25 IST
Reason: Approved

11. स्वीकृति में दर्शित कार्य का व्यय स्वीकृत सीमा में ही किया जावे। उक्त कार्यो को अन्य मद में स्वीकृत नहीं किया जावे।
12. क्षतिग्रस्त कार्यो को आरम्भ करने से पूर्व के एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् के फोटोग्राफ लेना आवश्यक है।
13. उक्त स्वीकृति के विरुद्ध क्षतिग्रस्त सम्पति के केवल रिपेयर एवं रेस्टोरेशन के ही कार्य कराये जावे। नया निर्माण कार्य नहीं करवाया जावे।
14. कार्यकारी संस्था उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट बिल के साथ प्रस्तुत करें कि कार्य SDRF के मापदण्डों एवं प्रावधानों के अनुसार ही कराया गया है। तभी इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।
15. राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं S.D.R.F. के नोर्स तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।
16. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवया जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
17. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएँ आमंत्रित कर कार्य कराएँ जा सकेंगे।
18. इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित बजट मद से किया जायेगा :-
 - 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
 - 02- बाढ़ चक्रवात आदि।
 - 107- खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
 - (02)- (बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत)
 - (01)- (बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत)
 - 21- अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स)(पी)

जिला कलक्टर,
कोटा

क्रमांक: सहायता/बाढ़/2025/

दिनांक: 10.10.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कागजाती हेतु :-

1. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग जयपुर ।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कोटा
4. उपखण्ड अधिकारी इटावा
5. विकास अधिकारी पंचायत समिति इटावा
6. रक्षित प्रति

जिला कलक्टर,
कोटा

Signature valid

Digitally signed by Peeyush Samariya
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.10 16:32:25 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), कोटा

क्रमांक: सहायता/बाढ/2025/

दिनांक: 10.10.2025

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ के कारण क्षतिग्रस्त विद्यालय/चिकित्सा/आंगनवाडी/पंचायत भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु पत्रांक 663 दिनांक 03.09.2025 द्वारा उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्राप्त एवं प्रेषित प्रस्ताव पर संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ-8(28) आ.प्र. एवं सहा./बाढ/प्रस्ताव/2024/राजकाज 18197762 जयपुर दिनांक 09.10.2025 के क्रम में पंचायत समिति सुल्तानपुर कें 36 कार्य हेतु राशि रुपये 72.00 लाख की तात्कालिक मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि से कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

कार्यकारी एजेन्सी – संबंधित ग्राम पंचायत

क्र.सं.	तहसील	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का प्रकार	क्षतिग्रस्त संपत्ति का नाम	SDRF मापदण्डों के अनुसार दर (प्रति कार्य) लाखों में	एस.डी.आर. एफ. मद से मरम्मत योग्य राशि लाखों में।
1	2	3	4	5	6
1	दीगोद	पंचायत भवन	सामुदायिक भवन नाथू बलाई की झोपडिया	2.00	2.00
2	दीगोद	पंचायत भवन	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र अमरपुरा	2.00	2.00
3	दीगोद	पंचायत भवन	सामुदायिक भवन पोलाईखुर्द	2.00	2.00
4	दीगोद	पंचायत भवन	सामुदायिक भवन बरगु	2.00	2.00
5	दीगोद	पंचायत भवन	सामुदायिक भवन चार	2.00	2.00
6	दीगोद	पंचायत भवन	सामुदायिक भवन पोलाई कलां	2.00	2.00
7	दीगोद	पंचायत भवन	पुरानी पंचायत भवन भाण्डाहेडा	2.00	2.00
8	दीगोद	पंचायत भवन	पंचायत भवन सारोला	2.00	2.00
9	दीगोद	पंचायत भवन	सामुदायिक भवन चोमा बीबू	2.00	2.00
10	दीगोद	पंचायत भवन	सामुदायिक भवन गनेश पार्क बमोरी	2.00	2.00
11	दीगोद	पंचायत भवन	पंचायत भवन जालीमपुरा	2.00	2.00

Signature Not Verified
2.00 2.00

Digitally signed by Peerush Samariya
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.10 16:33:12 IST
Reason: Approved



12	दीगोद	पंचायत भवन	पुराना ग्राम पंचायत भवन बूढादीत	2.00	2.00
13	दीगोद	पंचायत भवन	सामुदायिक भवन बूढादीत	2.00	2.00
14	दीगोद	पंचायत भवन	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र तोरण	2.00	2.00
15	दीगोद	पंचायत भवन	सामुदायिक भवन मेहन्दी	2.00	2.00
16	दीगोद	पंचायत भवन	सामुदायिक भवन प्रेमपुरा	2.00	2.00
17	दीगोद	पंचायत भवन	पुराना ग्राम पंचायत भवन बिसलाई	2.00	2.00
18	दीगोद	पंचायत भवन	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र बिसलाई	2.00	2.00
19	दीगोद	पंचायत भवन	सामुदायिक भवन धनसूरी	2.00	2.00
20	दीगोद	पंचायत भवन	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र खेरुला	2.00	2.00
21	दीगोद	पंचायत भवन	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र मोरपा	2.00	2.00
22	दीगोद	पंचायत भवन	सामुदायिक भवन में स्थित बाउण्ड्रीवाल रेलगांव	2.00	2.00
23	दीगोद	पंचायत भवन	ग्राम पंचायत की दुकाने डूंगरज्या	2.00	2.00
24	दीगोद	पंचायत भवन	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र लाखसनिजा	2.00	2.00
25	दीगोद	पंचायत भवन	ग्राम पंचायत भवन लाखसनिजा	2.00	2.00
26	दीगोद	पंचायत भवन	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र निमोदा	2.00	2.00
27	दीगोद	पंचायत भवन	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र किशोरपुरा	2.00	2.00
28	दीगोद	पंचायत भवन	सामुदायिक भवन बडोद	2.00	2.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Peeyush Samariya
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.10 16:33:12 IST
Reason: Approved

29	दीगोद	पंचायत भवन	पुराना पंचायत भवन बडोद	2.00	2.00
30	दीगोद	पंचायत भवन	पुराना पंचायत भवन बनेठिया	2.00	2.00
31	दीगोद	पंचायत भवन	सामुदायिक भवन जहांगीरपुरा	2.00	2.00
32	दीगोद	पंचायत भवन	पुराना ग्राम पंचायत भवन मदनपुरा	2.00	2.00
33	दीगोद	पंचायत भवन	पुराना ग्राम पंचायत भवन टाकरवाडा	2.00	2.00
34	दीगोद	पंचायत भवन	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र टाकरवाडा	2.00	2.00
35	दीगोद	पंचायत भवन	पंचायत समिति भवन का आवास कक्ष	2.00	2.00
36	दीगोद	पंचायत भवन	सामुदायिक भवन बगतरी	2.00	2.00
					72.00

कार्य कराने में निम्न शर्तों की पालना की जावे :-

- उक्त कार्यों को करवाने के लिए उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुशंसा की है।
- कार्यकारी एजेन्सी की वित्तीय शक्तिया PWD & AR के अनुसार मान्य होगी।
- विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नोर्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों की मरम्मत पर न करें।
- उक्त कार्य SDRF/NDRF के नियमों तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गये दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों की अक्षरशः पालना करते हुए कराया जावें।
- ये सम्पत्तिया जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
- कार्य उपखण्ड स्तरीय कमेटी से अनुमत होने आवश्यक है।
- कराये गये कार्यों का भुगतान के लिए इस कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाना है जिसके लिए समय पर बिल प्रस्तुत करें। अन्यथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर भुगतान संबंधित एजेन्सी को अपने विभागीय मद से करना होगा।
- कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।
- कार्यकारी एजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवे एसडीआरएफ नोर्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair के तहत राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं पुनरुद्धार हेतु गणना विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जायें।
- कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
- स्वीकृति में दर्शित कार्य का व्यय स्वीकृत सीमा में ही किया जावे। उक्त कार्यों को अन्य मद में स्वीकृत नहीं किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Peeyush Samariya
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.10 16:33:12 IST
Reason: Approved

12. क्षतिग्रस्त कार्यों को आरम्भ करने से पूर्व के एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् के फोटोग्राफ लेना आवश्यक है।
13. उक्त स्वीकृति के विरुद्ध क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के केवल रिपेयर एवं रेस्टोरेशन के ही कार्य कराये जावे। नया निर्माण कार्य नहीं करवाया जावे।
14. कार्यकारी संस्था उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट बिल के साथ प्रस्तुत करें कि कार्य SDRF के मापदण्डों एवं प्रावधानों के अनुसार ही कराया गया है। तभी इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।
15. राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं S.D.R.F. के नोर्म्स तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।
16. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवया जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
17. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आर्वाटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएँ आमंत्रित कर कार्य कराएँ जा सकेंगे।
18. इस राशि का व्यय वित्तीय वर्षा 2025-26 में निम्नलिखित बजट मद से किया जायेगा :-
- 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
- 02- बाढ़ चक्रवात आदि।
- 107- खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
- (02)- (बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत)
- (01)- (बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत)
- 21- अनुक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स)(पी)

जिला कलक्टर,
कोटा

क्रमांक: सहायता/बाढ़/2025/

दिनांक: 10.10.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कागवाही हेतु :-

1. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कोटा
4. उपखण्ड अधिकारी दीगोद
5. विकास अधिकारी पंचायत समिति सुल्तानपुर
6. रक्षित प्रति

जिला कलक्टर,
कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Peeyush Samariya
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.10 16:33:12 IST
Reason: Approved